[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 13/2021-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सा.का.नि.....(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम 2018 (2018 का 13) की धारा 110 द्वारा की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष 7106 और 7108 के अधीन आने वाले सभी मालों का जब भारत में आयात किया जाए, वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 115 के अधीन उदग्रहणीय कृषि अवसंरचना और विकास उपकर, जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के कारण प्रवृत्त विधि है, पर उदग्रहणीय पूर्ण सामाजिक कल्याण अधिभार, से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/02/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार